श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 2/1/अन्वे./पांच/2015/39628-877, इन्दौर, दिनांक 29/9/2022

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16–ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद्द्वारा अखिल भारतीय **कृषि श्रमिक उपभोक्ता** मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जनवरी, 2022 से जून, 2022 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:–

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी,	1095
फरवरी,	1095
मार्च,	1098
अप्रैल,	1108
मई,	1119
जून	1125
औसत सूचकांक	**6640 ÷ 6 =** 1106.67 (1107)

तथा इनका औसत 1107 घोषित करता हूं। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (बी)–1–2014–ए–सोलह, दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014) द्वारा दिनांक **01.10.2022 से 31.03.2023** तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01/10/2022 से 31/03/2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ–4(बी)/1–2014–ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 2/11/अन्वे./पांच./2015/ 39628-877 दिनांक 29/09/2022 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी,2022 से जून,2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1107 रहा है। गत छः माही का औसत 1077 रहा था, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1077 के ऊपर (1107–1077)= 30 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रू. 6 प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से (30X6) =180.00 रूपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986–87=100)के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (1107–768)=339 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (339X6)= 2034.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (2034÷30)= रू. 67.80 यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2034= 7384.00 तथा 7384÷30 रूपये 246.13 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक **01.10.2022 से 31.03.2023 तक** देय है ।**(अनुसूची–द)**

अनुसूची – द

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप मर दैनिक दरे	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04..2022 से 30.09.2022 तक								दिनांक 01.10..2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5350.00	178.33	1854.00	61.80	7204.00	240.13	240.00	अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	2034.00	67.80	7384.00	246.13	246.00

स्पष्टीकरण– परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :–

(1) न्यूनतम वेतन की दरे तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मुल्य सूचकांक 768 (1986–87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ो के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 06 रूपये (छः रूपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।

(2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।

(4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रर्वतन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकुल पभाव नही डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर से अधिक है , तो वह किसी भी द ाा में कम नही की जावेगी।(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा, 1948 की धारा 12 (1–ए))

(5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरे महिला एवं पुरूषों के लिए एक समान नियत है।

(6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतमत मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांकः 3/11/अन्वे./पांच/2015/11097-346 इंदौर, दिनांक 29/3/2022

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी,2021 से दिसम्बर,2021 तक के माहो के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ –

माह / वर्ष 2021	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी	7770.39
2. फरवरी	7822.87
3. मार्च	7862.36
4. अप्रैल	7895.25
5. मई	7928.13
6 जून	8000.45
7 जुलाई	8072.69
8 अगस्त	8085.84
9 सितम्बर	8105.56
10 अक्टुबर	8210.75
11 नवम्बर	8263.34
12 दिसम्बर	8243.61
औसत	96261.24÷12=8021.77 औसत (8022)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8022 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ठ परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2023 तक देय रहेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4 (सी)–ए–94–16–ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना कमांक एफ 4(सी) 1–2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमे बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विर्निमाण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्व किया गया है। जो दिनांक **1.04.2022 से 31.03.2023** तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना कमांक 3/11/अ/पांच/15/11097–346 दिनांक 29/03/22 के अनुसार जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8022 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकडों के औसत के ऊपर (8022–5299=2723 पाइंट) 2723 औसत बिदुओं की वृद्वि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकु (जिसमे बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण मे नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिदु प्रति हजार बीडी के मान से रूपये 27.23 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक **1.04.2022** से **31.03.2023** तक देय होगा।

(अनुसूची – ई)

किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वग	न्यूनतम वेतन की पुनरिक्षित दरे परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	27.23	रू 101.23 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रूपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना क परिशिष्ट में बताई गई शर्तो क अनुसार कम से कम रू. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट:– एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 101.23 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिको को बोनस पेटे 8. रूपये 85 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रूपये 06 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रूपये 62 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 125 रूपये 76 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 21.24 की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 1.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि में श्रमिकों सें 10 रूपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रूपये 62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 104 रूपये 52 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

2. रिलाई श्रमिक

अ. बीडी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रूपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 79.62
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रूपये 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रू. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 83.49

ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रूपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 27.23 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रूपये 73.18
2. झिल्ली लगाना	रूपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 20.42 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रूपये 53.96
3. लेबल लगाना	रूपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 6.80 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रूपये 19.64
4. पुडा बनाना या चिपकाना	रूपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रू. 6.80 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रूपये 20.05

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीडियों का कट्टा हो

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रूपये 192.64 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 108.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 301.56
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 108.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 322.51
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रूपये 213.59 प्रति एक लाख बीडी पर	रू. 105.92 (04 पैसे प्रति लाख बीडी पर)	रूपये 322.51

नोटः– बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1– कुशलः– ड्रायवर (चालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर

2– अर्धकुशलः– बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
Effective from 1/04/2022 to 31/3/2023
V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2022

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variabie Dearness Allowance	27.23
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.06
4.	Total Wages	106.29
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	8.85
6.	P.F. contribution of empioyer (@ 10% of total wages)	10.62
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-)	125.76
8.	Total Wages+Bonus	115.14
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	10.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	104.52

(Dr. Virendra singh Rawat)
Labour Commissioner
Madhya Pradesh, Indore